न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 02/2023 GCMS No.–2023/4

हनुमान पुत्र श्री भोजा जाति गुर्जर, उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम चिलपली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 विरूद्व आदेश दिनांक 28.11.2022 प्रकरण अर्न्तगत धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार आंधी जिला जयपुर उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हनुमान मुकदमा नं0 185/22 में पारित आदेश के विरूद्व।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 28.03.2023

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.2022 से अपीलांट द्वारा ग्राम चिलपली, तहसील आंधी स्थित आराजी खसरा नम्बर 452/445 रकबा 52.10 हैक्टेयर किस्म बंजड में से 0.30 हैक्टेयर भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने के कारण, अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म बंजड भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 1 रूपये का 50 गुना 50 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल करने व मौके पर खडी फसल को कुर्क कर कब्जेराज लेते हुए नीलामी की कार्यवाही करने तथा साथ ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अपीलांट को एक माह (30 दिवस) की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार श्री प्रहलाद रावत उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये बिना मुकम्मिल तामील व जवाबदेही का अवसर दिये आनन–फानन में अपीलांट को पुनः अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.11.2022 पारित कर बेदखल, तथा सिविल जेल कारावास 1 माह के दण्ड से दण्डित करते हुए आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने बिना बंजड भूमि पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा था। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोपर तामील नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सर्वथा झूठी रिपोर्ट पेश की गई एवं अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट केवल अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली क्रमांक 185/22 उनवानी सरकार बनाम हनुमान में दिनांक 28.11.2022 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक (गै.मु. बंजड) दर्ज है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91(3) के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 28.11.2022 को पारित किये गये है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अपीलांट को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्राावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का ग्राम चिलपली तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 452/445 रकबा 52.10 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बंजड में से 0.30 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके पश्चात अपीलांट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहा, तथा मौके पर अतिक्रमियों द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 28.11.2022 को पारित किए गए। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही की है जो नियमानुसार उचित है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है किन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व की धारा 91(3) के तहत एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आंधी द्वारा अपीलांट को दी गई एक माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आंधी द्वारा प्रकरण संख्या 185/2022 बउनवानी सरकार बनाम हनुमान में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 से एक माह (30 दिवस) सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर